

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

11/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2024/22

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
रामकन्या पत्नि जितेन्द्रकुमार जिन्दल		1.ओमप्रकाश पुत्र अमरचन्द
जाति अग्रवाल निवासी सुन्दर कॉम्पलेक्स		जाति-अग्रवाल निवासी रंगवाला का
प्रथम,अग्रवाल कॉलोनी महावीर गौशाला		घोरा बालोतरा तहसील पचपदरा व
के सामने बालोतरा तहसील पचपदरा व		जिला बालोतरा
जिला बालोतरा		2.घर्मसिंह पुत्र मोती जाति दरोगा
		निवासी जसोल तहसील पचपदरा व
		जिला बालोतरा
		3.मुकेशकुमार पुत्र राम जाति माली
		निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील
		पचपदरा
		4.सतीशकुमार पुत्र अयोध्याप्रसाद गोयल
		निवासी अग्रवाल निवासी चिताणीयों का
		घोरा,वनखण्डी मंदिर के ऊपर बालोतरा
		तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		5.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार
		पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

1.श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।

2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 11.7.2024



संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि सरहद मौजा खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1213/341 क्षेत्रफल 1.9425 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 07.3.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादीनी अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।
लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा खेड़ तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1213/341 क्षेत्रफल 1.9425 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	वरंग
1	रामकन्या पत्नी जितेन्द्रकुमार जिन्दल, अग्रवाल सा. सुन्दर, कॉम्प्लेक्स प्रथम, अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा	खेड़	1213/341	0.8512	रेल अव्वल	आसमानी
2	ओमप्रकाश पुत्र अमरचंद हि. 514/2571, जाति अग्रवाल सा. बालोतरा धर्मसिंह पुत्र मोती दरोगा हि. 1200/2571 सा. जसोल मुकेशकुमार पुत्र चेलाराम जाति माली हि. 686/2571 सा. बालोतरा सतीशकुमार पुत्र अयोध्याप्रसाद हि. 171/2571 जाति अग्रवाल सा. बालोतरा	खेड़	1213/341 1213/341 1213/341	0.0694 0.1214 0.7912	रेल अव्वल रेल अव्वल रेल अव्वल	पीला
3	ओमप्रकाश पुत्र अमरचंद हि. 3/28 जाति अग्रवाल सा. बालोतरा धर्मसिंह पुत्र मोती दरोगा हि. 1/4 सा. जसोल मुकेशकुमार पुत्र चेलाराम जाति माली हि. 1/7 सा. बालोतरा रामकन्या पत्नी जितेन्द्रकुमार हि. 13/28 जाति अग्रवाल सा. बालोतरा सतीशकुमार पुत्र अयोध्याप्रसाद हि. 1/28 जाति अग्रवाल सा. बालोतरा	खेड़	1213/341	0.1093	रेल अव्वल रास्ता हेतु संयुक्त खातेदारी भूमि 2 गट्टा चौड़ाई में	

तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 11.7.2024 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।





सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 11/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/22

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
रामकन्या पत्नि जितेन्द्रकुमार जिन्दल जाति अग्रवाल निवासी सुन्दर कॉम्प्लेक्स प्रथम, अग्रवाल कॉलोनी महावीर गौशाला के सामने बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.ओमप्रकाश पुत्र अमरचन्द जाति-अग्रवाल निवासी रंगवाला का घोरा बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.घर्मसिंह पुत्र मोती जाति दरोगा निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.मुकेशकुमार पुत्र राम जाति माली निवासी गांधीपुरा बालोतरा तहसील पचपदरा 4.सतीशकुमार पुत्र अयोध्याप्रसाद गोयल निवासी अग्रवाल निवासी चित्ताणीयों का घोरा, वनखण्डी मंदिर के ऊपर बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5.राजस्थान सरकार जरीए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर : 11/2024

निर्णय दिनांक :-11.7.2024

वादीनी की ओर से श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 11.7.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 11.7.2024 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11.7.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(राजेशकुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादीगण	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-----	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-----
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	-----	जोड़	-----



(Signature)
 सहायक कलक्टर
 (एस.डी.ओ.)बालोतरा